उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 19–विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–13–विनियम/86 दिनांकः 13 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1975 जो सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी प्रभावी एवं लांगू है, के विनियम 6 (1) एवं (2) में संशोधन हेतु जारी किये गये कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1947–औस एवं विनियम/पाकालि/2010 –13 –विनियम/86, दिनांक 05.08.2010 के प्रस्तर–4 (अ) के निम्न **स्तम्भ–1** में इंगित प्राविधानों को आंशिक रूप से संशोधित कर **स्तम्भ–2** में इंगित प्राविधानों से एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान प्रस्तर–4(अ)**	स्तम्भ–2 **प्रतिस्थापित प्रस्तर–4(अ)**
प्रकरणों की जॉच हेतु समिति का गठन :– 1. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं विद्युत वितरण निगमों तथा ट्रास्कों के प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जॉच हेतु आवश्यकतानुसार एक या अधिक जॉच समिति (यो) का गठन कर सके। 2. कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमों अथवा ट्रास्कों के कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जॉच कारपोरेशन अथवा उक्त प्रस्तर–1 में इंगित प्रबन्ध निदेशकों द्वारा गठित किसी भी जॉच समिति को सन्दर्भित कर सके। 3. उक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत गठित जॉच समिति में निम्न होगें :– अ. एक मुख्य अभियन्ता .....संयोजक ब. लेखा शाखा का एक अधिकारी (जो लेखाधिकारी से कनिष्ठ स्तर का न हो) ..... सदस्य	प्रकरणों की जॉच हेतु समिति का गठन :– 1. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं विद्युत वितरण निगमों तथा ट्रास्कों के प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जॉच हेतु आवश्यकतानुसार एक या अधिक जॉच समिति (यो) का गठन कर सके। 2. कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमों अथवा ट्रास्कों के कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जॉच कारपोरेशन अथवा उक्त प्रस्तर–1 में इंगित प्रबन्ध निदेशकों द्वारा गठित किसी भी जॉच समिति को सन्दर्भित कर सके। 3. उक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत गठित जॉच समिति में निम्न होगें :– अ. एक मुख्य अभियन्ता .....संयोजक ब. लेखा शाखा का एक अधिकारी (जो लेखाधिकारी से कनिष्ठ स्तर का न हो) ..... सदस्य **3(ए) 1–प्रस्तर–1 के अन्तर्गत उन प्रकरणों में जिनमें**

12/4/11

	कम से कम एक सहायक अभियन्ता के साथ सहायक अभियन्ता से नीचे के स्तर के कार्मिक अन्तर्ग्रस्त हो, की जॉच हेतु उपरोक्त प्रस्तर–3 में इंगित जॉच समितियों के अतिरिक्त निम्नवत् जॉच समिति गठित की जा सकती है:– अ. अधीक्षण अभियन्ता .....संयोजक ब. लेखाधिकारी ..... सदस्य प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की सेवानिवृत्ति में कम से कम 18 माह का समय शेष हो एवं उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न हो। 3(ए) 2–अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता वाली जॉच समिति डिस्काम, ट्रांस्को, केस्को तथा मुख्यालय, किसी भी स्तर पर गठित की जा सकेंगी। 3(ए) 3– अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता वाली जॉच समिति आरोप पत्र संरचित कर उसे निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) (यदि जॉच निगम स्तर से संस्थित की गयी है) अथवा सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक (यदि जॉच वितरण निगम स्तर से संस्थित की गयी है) से अनुमोदित कराकर निर्गत करेगी। नोट :– वर्तमान में कार्यरत जॉच समितियों में लम्बित संगत प्रकरण उनसे वापस लेकर अब प्रस्तर 3 (ए) के अन्तर्गत गठित होने वाली जॉच समितियों द्वारा भी निस्तारित किये जा सकेगें।
4. उक्त प्रस्तर–3 में गठित जॉच समिति के संयोजक को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विधा के कारपोरेशन/ विद्युत वितरण निगम/ट्रांस्को में तैनात विशेषज्ञ की सेवाऐं किसी भी रूप में जॉच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके।	4. उक्त प्रस्तर–3 में गठित जॉच समिति के संयोजक को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विधा के कारपोरेशन/ विद्युत वितरण निगम/ट्रांस्को में तैनात विशेषज्ञ की सेवाऐं किसी भी रूप में जॉच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके,
5. जॉच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की जॉच में निम्न प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा :– (क) जॉच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम पैतालिस दिन में आरोप पत्र सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी, (ख) जॉच समिति सम्बन्धित कार्मिक से आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने के तीस दिन में सुनवाई प्रारम्भ कर देगी जो अधिकतम पैतालिस दिन में पूरी कर ली जायेगी। (ग) जॉच समिति द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम पैतालिस दिन में जॉच आख्या सम्बन्धित कॉरपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) अथवा प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करायेगी।	5. जॉच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की जॉच में निम्न प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा :– (क) जॉच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम पैतालिस दिन में आरोप पत्र सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी, (ख) जॉच समिति सम्बन्धित कार्मिक से आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने के तीस दिन में सुनवाई प्रारम्भ कर देगी जो अधिकतम पैतालिस दिन में पूरी कर ली जायेगी। (ग) जॉच समिति द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम पैतालिस दिन में जॉच आख्या सम्बन्धित कॉरपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

	अथवा प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करायेगी।
(घ) कारपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) एवं निगमों/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक जॉच समिति से आख्या प्राप्त होने के पैतालिस दिन में जॉच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करेगें।	(घ) कारपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) एवं निगमों/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक जॉच समिति से आख्या प्राप्त होने के पैतालिस दिन में जॉच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करेगें।
(य) जॉच समिति उक्त प्रस्तर क से घ में इंगित समय–सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कारपोरेशन/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को इनके कारणों/परिस्थितियों से अवगत करायेगें एवं इनका उल्लेख जॉच आख्या में करेगें।	(य) जॉच समिति उक्त प्रस्तर क से घ में इंगित समय–सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कारपोरेशन/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को इनके कारणों/परिस्थितियों से अवगत करायेगें एवं इनका उल्लेख जॉच आख्या में करेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 19 (1) –विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–13–विनियम/86'–तद्दिनांक 13/4/11
प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड/ उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7– मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक, जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8– मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/अपर विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– सलाहकार (औस/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– कार्यकारी अपर सचिव (प्रथम), अपर सचिव (द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन,लखनऊ।
10– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11– अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।

13/4/11
(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)